राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 2(क)/(M-594)/अलेसे–I/1656 दिनांकः– 22-12-202

आदेश

श्री मूलचन्द वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I तत्कालीन कार्यालय, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ एवं अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने पर एफआईआर संख्या 216/2022 के आधार पर इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 447 दिनांक 09.06.2022 द्वारा दिनांक 01.06.2022 से निलम्बित किया गया था। तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एसपीएल दिनांक 06.12.2023 अनुसार अपराध संख्या 216/2022 में माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 01 उदयपुर द्वारा, मुकदमे के दौरान दिनांक 23.11.2022 को श्री वर्मा की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 11/2023 स्वीकृत किया जाकर प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं रहा जाना अवगत कराया है।

अतः स्व श्री मूलचन्द वर्मा की निलम्बन अवधि 01.06.2022 से 23.11.2022 (मुत्यु तिथि) को नियमित किया जाकर उक्त निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल माना जावेगा।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

क्रमांकः– एफ. 2(क)/(M-594)/अलेसे–I/1656-1664 दिनांकः– 22/12/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. सुयक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्सच कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
4. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि श्री वर्मा के उक्त निलम्बन अवधि के देय शेष समस्त वेतन भुगतान कर इस निदेशालय को शीघ्र अवगत करावें।
5. कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ़।
6. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चित्तौडगढ़।
7. उप निदेशक एसीपी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली।

(कुसुम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक–I)